न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस
अपील संख्या– एल आर ए/229/2015

उनवान

1. रामनारायण पिता सूरजमल कंजर, निवासी चितावडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

———अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा प्रकरण संख्या 48/2015 निर्णय दिनांक 22.9.2015 एवं तहसीलदार, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 120/2015 निर्णय दिनांक 14.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री एच डी वर्मा ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक 31.10.22017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हलका चांद जी की खेडी ने तहसीलदार बिजौलिया के यहॉ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा जोलास की बिलानाम आराजी नम्बर 464 कुल रकबा 137 बीघा 14 बिस्वा गैर मुमकिन भटबेड में से 3 बीघा भूमि पर संवत 2072 में अवैध अतिक्रमण कर सोयाबीन की फसल काश्त कर अवैध कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 14.7.2015 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को मौजा जोलास की बिलानाम आराजी नम्बर 464 कुल रकबा 137 बीघा 14 बिस्वा गैर मुमकिन भटबेड में से 3 बीघा भूमि पर संवत 2072 में पुनः अवैध अतिक्रमण कर सोयाबीन की फसल काश्त कर अवैध कब्जा करने का दोषी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने तथा 75/– रूपये के अर्थदण्ड तथा 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.9.2015 द्वारा खारिज की गई जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलार्थी गरीब काश्तकार है। जिसकी आजीविका का साधन मात्र कृषि भूमि है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया था कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.9.2015 की पालना में अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड दिया है। फिर भी सजा बहाल रख दिनांक 30.11.2015 को सिविल जेल भेजा जो अपास्त योग्य है। अपीलार्थी को सुनवाई का

बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 11.12.2015 को कब्जा छोड देने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जावे। उन्होनें अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2009 (2) पेज 558 तेजा बनाम सरकार, आर आर टी (1) 2003 प्रहलाद बनाम सरकार, आर आर टी 2006'2007 मोहननाथ बनाम सरकार पेज 33 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को समुचित नोटिस जारी कर और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर पूर्णतया गौर कर जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. हमने उभय पक्षों के विद्धान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सरकारी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी माना है और इस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहॉ तक सिविल कारावास में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है । अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसने मौके पर से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। । पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट दिनांक 11.12.2015 को तैयार की है जिसमें वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड देने की अंकित है। अतः अपीलार्थी के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए तथा 2010 (16) आर बी जे 57 एवं 2011 आर आर टी (2) 1163 में हुए विनिर्णय को मध्यनजर रखते हुए एवं न्यायहित में अपीलार्थी को सुधरने का एक अवसर देने के उद्धेश्य से सिविल कारावास की सजा को आगे उल्लिखित शर्तो पर स्थगित किया जाना न्यायसंगत समझती हूँ।

6. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 22.9.2015 एवं तहसीलदार बिजौलिया के निर्णय दिनांक 14.7.2015 के जरिये की गई दोषसिद्धि एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है किन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हलका पटवारी के मार्फत यह सुनिश्चित कर ले कि वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थी ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा तहसीलदार/हलका पटवारी ने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त कर लिया है तथा अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः इस विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है और इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधीत अपनी पत्रावली में आदेशिका उल्लिखित करने के उपरान्त अपीलार्थी की सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा। यदि वादग्रस्त आराजी पर कोई फसल खडी हो तो उसे भी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर नियमानुसार खुली निलामी कर उससे प्राप्त राशि को तहसीलदार नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। यदि अपीलार्थी द्वारा एक माह की अवधि में उक्त शर्तो की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः विवादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किये गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलार्थी को नियमानुसार सजा भुगतायेगा तथा उसकी अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।